बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्रांक-2/वि0स0(आश्वासन)-33/2012 परि0 2847 /

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार ।

पटना, दिनांक 13/7/2012

विषय : ट्रैक्टर-ट्रेलर हेतु पूर्व में लागू 'सर्वक्षमा योजना' का प्रतिफल प्रतिवेदन प्रेषित करने के संबंध में ।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 2476 दिनांक 13.06.2012

महोदय,

प्रसंगाधीन उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि विभागीय अधिसूचना संख्या-5568 दिनांक 11.12.2007 द्वारा कृषि कार्य में प्रयुक्त कर प्रमादी अथवा अनिबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर को टैक्स नेट में लाने एवं 'एक-मुश्त कर' की राशि प्राप्त कर 'कर-प्रतीक' निर्गत करने हेतु 'सर्वक्षमा योजना' (Amnesty) दिनांक 31.03.2008 तक विस्तारित की गयी थी । अत: विस्तारित अवधि में उक्त योजनान्तर्गत निबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर की संख्या एवं बकाया कर के एक मुश्त भुगतान से प्राप्त राशि से संबंधित प्रतिवेदन अविलंब प्रेषित किया जाय ।

बिहार विधान सभा के आश्वासन संख्या-614/12 के अनुपालन में उक्त योजना की पुन: समीक्षा की जा रही है ।

2. अत: 31 मार्च 2008 तक जो कृषक उक्त योजना का लाभ नहीं उठा सके हैं, वैसे ट्रैक्टर-ट्रेलर की संख्या एवं उसमें सन्निहित राशि का व्योरा अविलंब प्रेषित किया जाय ताकि इस संबंध में यथाशीघ्र कार्रवाई की जा सके । इसके अतिरिक्त दिनांक 01.04.2008 से 31.03.2010 की अवधि में भी ऐसे मामले यदि हों, तो उपर्युक्त कंडिका-1 के अनुसार विवरणी भेजी जाय ।

3. आप अवगत होंगे कि दिनांक 01.04.2010 से ट्रैक्टर-ट्रेलर के निबंधन के लिए एकमुश्त कर प्रणाली (करारोपण) का प्रावधान किया जा चुका है । फलत: दिनांक 01.04.2010 के बाद 31.03.2012 तक की अवधि में ऐसे बकायेदारों की संभावना नहीं प्रतीत होती है । तथापि प्रासंगिक अभिलेख से इसकी संपुष्टि कर विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि दिनांक 31.03.2012 तक के बकायेदारों की अद्यतन विवरणी सन्निहित राशि के साथ अविलंब मुख्यालय को दिनांक-25.07.2012 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन,

13/7/12

प्रधान सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

E:\Rai Sir doc-712

प्रपत्र

1. दिनांक 31.03.2008 तक लाभन्वित ट्रैक्टर-ट्रेलर की संख्या एवं इसमें प्राप्त राशि का विवरण ।

2. दिनांक 01.04.2008 से दिनांक 31.03.2010 तक वैसे ट्रैक्टर-ट्रेलर की संख्या जो ''सर्वक्षमा'' योजना से लाभान्वित नहीं हुए एवं उसमें सन्निहित राशि :-
   1. बकाये टैक्स की राशि ।
   2. सम्भावित प्राप्त होने वाली राशि ।

3. दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 31.03.2012 तक बकायेदार ट्रैक्टर-ट्रेलर की संख्या एवं सन्निहित राशि ।